

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)



Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2024/

दिनांक :-

प्रमाण-पत्र

खातेदार/विकासकर्ता श्रीमती नवजोत कौर बराइ पत्नी श्री बलतेज सिंह निवासी 8-ए-30 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा आवेदित भूमि वाके चक 6 जैड के मुख्बा न. 16 के किला नं. 24/4 में 0.0102 है., किला नं. 24/8 में 0.0122 है. (खाला), किला नं. 25/3 में 0.026 है. (खाला), किला नं. 25/4 में 0.020 है. कुल 0.0684 हैक्टेयर एवं मुख्बा नं. 33 के किला नं. 4/2, 7/2, 14/2, 17/2 प्रत्येक में 0.125 है., किला नं. 5/1 में 0.228 है., किला नं. 5/2 में 0.025 है. (खाला), किला नं. 6/1 में 0.227 है., किला नं. 6/2 में 0.026 है. (खाला), किला नं. 15/1 में 0.228 है., किला नं. 15/2 में 0.025 है. (खाला), किला नं. 16/1 में 0.227 है., किला नं. 16/2 में 0.026 है. (खाला), किला नं. 16/2 में 0.026 है. (खाला), किला नं. 16/2 में 0.026 है. (खाला), किला नं. 25/3 में 0.025 है. (खाला), किला नं. 25/7 में 0.182 है., किला नं. 24/4 में 0.102 है. कुल 1.821 है. यथाकुल 1.8894 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू-राजस्य अधिनियम 1956 की धारा 90-क की कार्यवाही न्यास आवेदन संख्या LU2012/SGN/2023-24/100837 दिनांक 06.09.2023 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित भूमि के दिनांक 26.10.2023 द्वारा 90-ए आदेश जारी है। उक्त भूमि का ले आउट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के कार्यालय पत्र क्रमांक बीकेजेड/2522:82/ले.आ.प्लान/2023/शीगंगानगर/04 दिनांक 02.01.2024 द्वारा प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के क्रम में न्यास स्तर पर गढित ले आउट प्लान समिति की बैटक दिनांक 12.02.2024 के एजेण्डा संख्या 07 द्वारा स्वीकृत है। खातेदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त योजना का नाम "KINGS SADAINDER AVENUE G-BLOCK" रखा गया है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपन्नानुसार विकासकर्ता की आवेदित भूमि (लेखाशाखा की गणना अनुसार जारी माँग पत्र क्रमांक नियोजन/2024/2901 दिनांक 15.02.2024) के बाह्य विकास शुल्क की राशि 18,89,400/- रूपये में से 20 प्रतिशत की छूट की राशि 3,77,880/- रूपये कम करते हुए शेष राशि 15,11,520/- रूपये, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार डीएलसी दर से राशि 9,64,523/- रूपये, बीएसयूपी फण्ड राशि 2,51,438/- रूपये यथाकुल राशि 27,27,481/- रूपये जरिये रसीद संख्या 0,54/7.26. दिनांक

अतिदारान द्वारा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य नियत समयाविध में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन खातेदारान द्वारा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य नियत समयाविध में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुद्धा भूखण्ड, (भूखण्ड संख्या G-19, G-20, G-21 Each Size 25'-0" X 55'-0" Feet, G-22 Size 30'-0" X 55'-0" Feet, G-23, G-24, G-25 Each Size 30'-0" X 50'-0" Feet, G-68, G-69, G-70 Each Size 30'-0" X 51'-6" Feet, Informal Size 40'-0" X 101-6" Feet, Total 10 Resi. Plot & 01 Informal) न्यास द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनाईजर्स/खातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनाईजर्स/खातेदार श्रीमती नवजोत कौर बराइ पत्नी श्री बलतेज सिंह निवासी 8-ए-30 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेंकिंग और मौका निरीक्षण सिमिति की अनुशंषा के आधार पर निम्न शर्तो के साथ प्रमाण-पत्र जारी किया जाता हैं:-

1. स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य बिजली, पानी, सड़कें, स्ट्रीट लाईट, नाली, पार्क (लाईट, झुले, बैच, घास, पेइ-पौधे आदि), होर्टिकल्चर आदि का निर्माण स्वयं कॉलोनाईर्स/ खातेदार को स्वयं के खर्चे पर नियत समयाविध में पूर्ण करवाने होर्गे। न्यास उपरोक्त किसी भी प्रकार के विकास कार्य एवं उक्त हेतु व्यय करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

2. ऑवर हैंड वाटर टैक, वर्षा जल नालिया एवं सीवरेज का कार्य स्वयं खातेदार/कॉलोनाईजर्स के स्तर पर करवाया जावेगा तथा इन कार्यों के विरुद्ध न्यास से किसी प्रकार की कोई मांग इत्यादि नहीं की जावेगी। स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार आन्तरिक विकास कार्य एवं उपरोक्त वर्णित कार्य पूर्ण होने के उपरोन्त ही उक्त रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त किया जावेगा।

3. योजना में नियत समयाविध में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में न्यास द्वारा रहनशुद्धा भूखण्डों को विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकेंगें। इस बाबत खातेदार/ कॉलोनाईजर माननीय न्यायालय एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेत् कोई दावा/उजर प्रस्तत नहीं करेगें।

एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेतु कोई दावा/उजर प्रस्तुत नहीं करेगें।

4. स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊचाई एवं आच्छादिल क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।

5. आवेदित भूमि का भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-क के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन संख्या 100837 द्वारा आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग न्यास में प्रस्तावित अन्य 90-क ऑनलाईन संख्या 100831 की भूमि के प्रस्तावित ले आउट प्लान से 60 फीट एवं 40 फीट रोड प्रस्तावित की गई है तथा ऑनलाईन संख्या 100836 की भूमि के प्रस्तावित ले आउट प्लान से 40 फीट सड़क से पहुंच मार्ग प्रस्तावित किया गया है। अतः ऑनलाईन आवेदन उपरोक्तानुसार ऑनलाईन आवेदन 90 से संबंधित विकासकर्ता से आवागमन हेतु/पहुंच मार्ग हेतु सहमति पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

6. आवेदित भूमि को उत्तरी दिशा से पहुँच मार्ग वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के कार्यालय पत्र क्रमांक बीकेजेड/2522:87/ले.आ.प्लान/2023/श्रीगंगानगर/03 दिनांक 02.01.2024 द्वारा तकनीकी स्वीकृत योजना में निर्धारित 35 फीट चौड़ी सड़क से प्राप्त है एवं दक्षिण दिशा से मास्टर प्लान की 60 फीट सड़क प्रस्तावित है।

7. आवेदित भूमि को उत्तरी दिशा में 35 फीट चौड़ा पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है एवं सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की माँग नहीं करेंगें इस हेतु आप बाध्य रहेंगें।

8. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में योजना मानियत्र में एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाला गुजर रहा है लेकिन टी.एस. सर्वे अनुसार मौके पर खाला अवस्थित नहीं है। अतः खाले की भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण नहीं किया जावेगा यदि कोई खाला गुजर रहा हो तो उक्त खाले के संबंध में नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी उपरांत ही भूखण्डों का सृजन मान्य होगा एवं नियमानुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम-2020 के निर्धारित मानवण्डों के अनुरूप भूमि खुली रखी जाते हुए अथवा खाले के उपर से आवागमन हेतु आवश्यक पुल के निर्माण की संबंधित विभाग से अनुमित प्राप्त कर समस्त उत्तरदायित्व/सुरक्षात्मक उपाय विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर अपनाये जावेंगें।





कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)





Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Office Address: - UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

आवेदित भूमि के पूर्वी दिशा में सिंचाई खाले के संबंध में नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी अथवा खाले के उपर से आवागमन हेतु आवश्यक पुल के निर्माण की सबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर समस्त उत्तरदायित्व/सुरक्षात्मक उपाय विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर अपनाये जावेंगें।

10. आवेदित भूमि में से यदि कोई विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त से नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी उपरांत ही भूखण्डों का सृजन मान्य होगा एवं नियमानुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम-2020 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप भूमि खुली रखी जाते हुए सुरक्षात्मक उपाय विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर

पर अपनाये जार्वेगें।

1 1. योजना में स्वीकृत इन्फोमल सैक्टर के भूखण्ड माप Informal Size 40'-0" X 101-6" Feet (4060 वर्गफीट) का निष्पादन टाउनिशेप पॉलिसी २०१० के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक १३.०५.२०२० / विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार / दिनांक 20.02.2023 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश अनुसार किया जाना होगा।

12. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी

आवश्यक होगी।

- 13. अनुमोदित योजना मानचित्र में पार्क एवं सड़क हेतु आरक्षित भूमि नियमानुसार न्यास को समर्पित करते हैं। आवेदित भूमि में स्वीकृत पार्क एवं सड़क हेतु आरक्षित भूखण्ड का उपयोग जन सुविधाओं (पब्लिक यूटिलिटि) हेतु किया जाएगा एवं उक्त भूखण्ड का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार न्यास स्तर पर जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा।
- 14. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार नियत अवधि में उपर्युक्तानुसार समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक कमेटी की अनुशंषा एवं कॉलोनाईजर्स्/ खातेदार द्वारा प्रस्तुत अण्डर टेंकिंग के अनुसार (भूखण्ड संख्या G-19, G-20, G-21 Each Size 25'-0" X 55'-0" Feet, G-22 Size 30'-0" X 55'-0" Feet, G-23, G-24, G-25 Each Size 30'-0" X 50'-0" Feet, G-68, G-69, G-70 Each Size 30'-0" X 51'-6" Feet, Informal Size 40'-0" X 101-6" Feet, Total 10 Resi. Plot & 01 Informal) नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के पास बन्धक रहन रहेगे। कॉलोनाईजर्स् ख्रातेदार द्वारा किये गये विकास कार्यो के प्रमाणीकरण अनुसार रहनशुद्धा भूखण्ड को रहन मुक्त किया जायेगो 🎙 🕬 💆 🔾

15. योजना की समस्त सड़कें न्यास में निहित होगा।

16. योजना में वेस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा।

17. योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा सरंक्षण हेंतु सोलर एवं एलईडी लाईट का उपयोग किया जावेगा।

18. योजना के आन्तरिक विकास कार्य, यथा सड़के, नालिया, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज एवं पेयजल आदि के समस्त कार्य टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 24 माह, में किये जाने अनिवार्य होगें। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की रिथति में 10 प्रतिशृत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढाई जा सकेगी।

19. उपरोक्त योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स् २०१७ के तहत पंजीयन करवाया

जाना अनिवार्य होगुँग। 🎏

20. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकोम इन्फ्रास्ट्रक्चर टावरस् हेतु

स्थल आरक्षित रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/ आदेशानुसार किया जाना होगा। यउनशिप पॉलिसी-२०१० एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होगे।

22. योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट-IV जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टाउनशिंप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution Station Pressure regulating station/District

regulating station स्थापित करने हेतु नवीन प्रावधान लागू होंगें।

23. राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/467 दिनांक 14.03.2023 विकासकर्ता/खातेदार द्वारा सुनिश्चित्ता की जानी होगी।

> नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर


उपरोक्त सभी शर्ते मेरे/हमारे द्वारा पढ़ व समझ ली गई है, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य है। उपरोक्त सभी शर्ते मुझे/हमे मंजूर एवं मान्य है तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पालना मेरे/हमारे स्वयं के स्तर पर की जावेगी।

Nallyot Kaul सहमती हस्ताक्षर (खातेदार/कॉलोनाईजरर्स)

क्रमांक :- नियोजन/2024/ 2934 प्रतिलिपि:-

1 खातेदार/विकासकर्ता श्रीमती नवजोत कौर बराइ पत्नी श्री बलतेज सिंह निवासी 8-ए-30 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

2. नियमन शाखा न्यास, श्रीगंगानगर को उक्त रहन रखे गये भूखण्डों का रूपान्तरण नहीं करने एवं रहन रखे गये भूखण्डों तथा उक्त योजना में नियमन किये गये भूखण्डों का अलग से रजिस्टर सम्पूर्ण विवरण सहित संधारित करने





कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email - uit_sgnr@yahoo com Office Address - UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



क्रमांक :- नियोजन/2024/ २८१२

दिनांक :- 13 02 2024

कार्यवाही विवरण

ले आउट प्लान स्वीकृत करने बाबत सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गदित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 12.02.2024 को 10:30 बजे सचिव महोदय के कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. श्री कैलाश चन्द्र, सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

2. श्री मंगत राय सेतिया, अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

3. श्री दीपक जांगिइ, सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

वैटक में न्यास स्तर पर विचाराधीन साईट प्लान / ले आउट प्लान के प्रकरणों का विवरण व निर्णय निम्नानुसार है :-

एजेण्डा संख्या - 01

क. स.		प्रकरण के संबंध में विवरण
1	आवेदक का नाम	श्रीमती रणजीत कौर पत्नी श्री मलकीत सिंह निवासी 4-ओ श्रीगंगानगर
2	भूमि का विवरण	चक 6 जैंड के मुख्या न. 16 के किला नं. 5 में 0.038 है., किला नं. 6 में 0.227 है., किला नं. 7 में 0.127 है., किला नं. 12/2 में 0.024 है., किला नं. 8 में 0.013 है., किला नं. 12/2 में 0.024 है., किला नं. 13 में 0.228 है., किला नं. 14 में 0.253 है., किला नं. 15/2 में 0.228 है., किला नं. 16 में 0.253 है., किला नं. 17/2 में 0.217 है., किला नं. 18/2 में 0.017 है., किला नं. 24/6 में 0.1775 है., किला नं. 25/5 में 0.156 है. यथाकुल 1.9585 हैक्टेयर
4 8	स्वामित्व के संबंध में रिपोर्ट भूमि का भू-उपयोग 1) मास्टर प्लान वर्ष	प्रपत्र-६ में तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वागित्व वैद्य है। वर्तमान में प्रभावी नहीं है।
2		आवेदित भूमि मास्टर प्लान २०१७-२०३५ अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। विभागीय आदेश क्रमांक प.१७(१)नविवि/अभियान/२०२१
3.		पार्ट-1 दिनांक 04.08.2023 के बिन्दु सं. 1.1 अनुसार ''संभागीय मुख्यालय शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व अन्य शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व अन्य शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व अन्य शहरों में न्यूनतम 18 मीटर व इससे अधिक चौड़ाई की सड़कों के दोनो ओर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में रिक्रिऐशनल विधा पार्क, खुला स्थल व खेल के मैदान, स्टेडियम) क्षारोपण पट्टी, इकॉलोजिकल क्षेत्र, पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र, क्लोसेन्सिटिव एरिया एवं सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक विधाओं को छोड़ते हुए अन्य सभी भू-उपयोगों में मास्टर

सहायक नेगर नियोजक नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

7



कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001 ञंग्ला - ०७




页.	प्रकरण	Hermy A
स.		प्रकरण के संबंध में विवरण
1	आवेदक का नाम	श्रीमती नवजोत कौर बराइ पत्नी श्री बलतेज सिंह निवार 8-ए-30 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर
2	भूमि का विवरण	चक 6 जैड के मुख्बा न. 16 के किला नं. 24/4 में 0 0102 है., किला नं. 24/8 में 0.0122 है. (खाला), किल नं. 25/3 में 0.026 है. (खाला), किला नं. 25/4 में 0 020 है. कुल 0.0684 हैक्टेयर एवं मुख्बा नं. 33 व किला नं. 4/2, 7/2, 14/2, 17/2 प्रत्येक में 0.125 है. किला नं. 5/1 में 0.228 है., किला नं. 5/2 में 0.025 है. (खाला), किला नं. 6/2 में 0.026 है. (खाला), किला नं. 15/1 में 0.228 है. किला नं. 15/1 में 0.228 है. किला नं. 15/1 में 0.228 है. किला नं. 15/2 में 0.026 है. (खाला), किला नं. 16/1 में 0.227 है. किला नं. 16/1 में 0.227 है., किला नं. 16/1 में 0.227 है., किला नं. 16/2 में 0.026 है. (खाला), किला नं. 25/3 में 0.025 है. (खाला), किला नं. 25/7 में 0.182 है., किला नं. 24/4 में 0.102 है. कुल 1.8894 हैक्टेयर
3	स्वामित्व के संबंध में रिपोर्ट	प्रपत्र-6 में तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वामित्व वैद्य है।
4	भूमि का भू-उपयोग 1) मास्टर प्लान वर्ष 2003-2023	
	2) मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035	आवेदित भूमि मास्टर प्लान २०१७-२०३५ अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
5		नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2020 के अनुसार आवासीय योजनाओं/उपयोग में न्यूनतम 40 फीट पहुंच मार्ग की बाध्यता है। मास्टर प्लान 2017-2035 अनुसार आवेदित भूमि को पूर्व दिशा से मास्टर प्लान की 60 फीट प्रस्तावित सड़क से एप्रोच प्रस्तावित की गई है। प्रश्नगत आवेदित भूमि का भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-क के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन संख्या 100837 द्वारा आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग न्यास में प्रस्तावित अन्य 90-क ऑनलाईन संख्या 100831 की भूमि के प्रस्तावित की आउट प्लान से 60 फीट एवं 40 फीट रोड प्रस्तावित की गई है तथा ऑनलाईन संख्या 100836 की भूमि के प्रस्तावित ले आउट प्लान से 40 फीट सड़क से पहुंच मार्ग प्रस्तावित किया गया है। अतः ऑनलाईन आवेदन उपरोक्तानुसार ऑनलाईन आवेदन 90 से संबंधित विकासकर्ता से आवागमन हेतु/पहुंच मार्ग हेतु सहमित पत्र/शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

đ 7 र्त 7





Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

		2) मौके पर विद्यमान पहुँच मार्ग	90-क के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन संख्या 100837 द्वारा आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग न्यास में प्रस्तावित अन्य 90-क ऑनलाईन संख्या की भूमि के प्रस्तावित ले आउट प्लान से 60 फीट एवं 40 फीट रोड प्रस्तावित की गई है तथा अन्नलाइन संख्या 100836 की भूमि के प्रस्तावित ले आउट प्लान से 40 फीट सड़क से पहुंच मार्ग प्रस्तावित ले आउट प्लान से 40 फीट सड़क से पहुंच मार्ग प्रस्तावित किया गया है। आवेदित भूमि को दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की 60 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। आवेदित भूमि को उत्तरी दिशा में 35 फीट चौड़ा पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है। आवेदित भूमि को दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की 60 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। आवेदित भूमि को उत्तरी दिशा में मास्टर प्लान की 60 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। आवेदित भूमि को उत्तरी दिशा में मास्टर प्लान की 60 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है।
	6	राजस्थान भू-राजस्व अधि. 1956 की धारा 90-क	
	7	प्रयोजन	आवासीय प्रयोजनार्थ
	8	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर से स्वीकृति का विवरण	[[- 가입하게 맞을때에 그렇다는 [사용하는 사용하는 소리를 보고 보고 있다고 있는 - 프랑스 사용하는 - 기계 (기계
	9	प्रकरण के मुख्य तथ्य	 आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2017-2035 अनुसार किसी भी सुविधा क्षेत्र में नहीं आता है। वर्तमान में श्रीगंगानगर मास्टर प्लान 2017-2035 अधिसूचित हो गया है अतः पूर्व मास्टर प्लान 2003-2023 अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2017-2035 अनुझेय अनुसार एवं मौके पर आवेदित भूमि पहुंचमार्ग होने के क्रम में एवं तहसीलदार राजस्व की रिपोर्ट में आवेदित भूमि के स्वामित्व की पूर्ति के क्रम में तकनीकी दृष्टि से आगामी कार्यवाही की जा सकती है। प्रकरण में आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व भूमि के स्वामित्व, क्षेत्रफल, सीमाओं एवं प्रस्तावों के अनुसार मौके पर भूमि की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जानी होगी। आवेदित भूमि को उत्तरी दिशा से पहुँच मार्ग वरिष्ठ नगर क्षेत्रकर सीमाओं एक क्रमांक
	_		नियोजक बीकानेर के कार्यालय पत्र क्रमांक बीकेजेड/2522:87/ले.आ.प्लान/2023/श्रीगंगानगर/03

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर 2 र ह र र र र र र र र

7



कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



₹

7

दिनांक 02.01.2024 द्वारा तकनीकी स्वीकृत योजना में निर्धारित 35 फीट चौड़ी सड़क से प्राप्त हो रहा है। प्रकरण में एकीकृत भवन विनियम-2020 के विभिन्न प्रावधानों व इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों के अनुरूप आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन इस कार्यालय की तकनीकी अभिशंषा अनुसार किया जाना होगा। आवासीय प्रयोजनार्थ अन्य भवन निर्माण के पैरामीर्ट्स उपरोक्त के संबंध में प्रचलित नियमों व समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/आदेशों/परिपत्रों के प्रावधानानुसार होगें। योजना के प्रस्तावित प्रयोजन वर्गफीट प्रतिशत आउट प्लान में भूमि का आवासीय 104197.50 51.24% वर्गीकरण इन्फोरमल 4060.00 2.00% पार्क एवं पाथ 9900.00 4.86% सड़क 85205.00 41.90% 203362.50 100.00% कुल अन्य तथ्य • प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी २०१० तथा विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया है। अतः इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/ परिपत्र/ दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी। योजना में दर्शाये गये भूखण्डों पर सैट बैक्स एवं अन्य सभी मापदण्ड भवन विनियम-२०२० के अनुसार रखे जाने होगें। अनुमोदित योजना मानचित्र में आरक्षित सविधा क्षेत्र का निस्तारण टाऊनशिप पॉलिसी-2010 एवं उक्त के परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं/ परिपत्रों अनुसार किया जाना होगा। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सौरऊर्जा संयंत्र, एल.ई.डी. व अन्य सभी प्रावधान भवन विनियम-2020 के अनुसार कायम किये जाने होगें। योजना में स्वीकृत इन्फ्रीमल सैक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 अनुसार

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास,

100

अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, सर्विव नगर विकास न्यास, अधिगंजानगर

एवं समय-समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों/अधिसूचना/

आवेदित भूमि में से यदि कोई खाला गुजर रहा हो तो उक्त खाले के संबंध में नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी उपरांत ही भूखण्डों का सृजन मान्य होगा एवं नियमानुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा गाँडल भवन

दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना होगा।



कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email - uit sgur@yahoo com Office Address - UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj) 335001



विभियम-२०२० के निर्धारित गानदण्हों के अनुरूप भूगि खुली रखी जाते हुए अथवा खाले के उपर से आवागमन सेतु आवश्यक पुर्ल के निर्माण की सर्विधत विभाग से अनुमति प्राप्त कर रामस्त उत्तरदायित्व/युखात्मक उपाय खातेदार/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर अपनाये जावेंगें। आवेदित भूमि में से यदि कोई वियुत लाईन गुजर रही हो तो उनत वियुत लाईन से नियमानुसार युखात्मक दुरी उपरान्त अथवा स्थानान्तरण उपरान्त ही भूखण्डों का सृजन मान्य होगा एवं नियमानुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडन भवन विनियम-२०२० के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप भूमि खुली रखी जाते हुए सुखात्मक उपाय आवेदक/खातेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर अपनाये जावेंगें जिसकी समस्त जिम्मेवारी आवेदक/खातेदार स्वयं की होगी।

अतः उपरोक्त तथ्यों सहित प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बिर्णय: - उपरोक्त तथ्यों सिहत चक 6 जैंड के गुरब्बा ज. 16 के किला जं. 24/4 में 0.0102 है., किला जं. 24/8 में 0.0122 है. (खाला), किला जं. 25/3 में 0.026 है. (खाला), किला जं. 25/4 में 0.020 है. कुल 0.0684 हैक्टेयर एवं गुरब्बा जं. 33 के किला जं. 4/2, 7/2, 14/2, 17/2 प्रत्येक में 0.125 है., किला जं. 5/1 में 0.228 है., किला जं. 5/2 में 0.025 है. (खाला), किला जं. 6/1 में 0.227 है., किला जं. 6/2 में 0.026 है. (खाला), किला जं. 15/1 में 0.228 है., किला जं. 15/2 में 0.025 है. (खाला), किला जं. 16/1 में 0.227 है., किला जं. 16/2 में 0.026 है. (खाला), किला जं. 25/3 में 0.025 है. (खाला), किला जं. 25/7 में 0.182 है., किला जं. 24/4 में 0.102 है. कुल 1.821 है. थथाकुल 1.8894 हैक्टेयर भूमि का आवाशीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लाज अनुमोदन उपरोक्त तथ्यों सिहत बिम्नलिखित शर्तो/बिन्दुओं के अधीन किया जाता है:-

1. वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय बीकानेर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति अनुसार एवं ले आउट प्लान समिति के निर्णय में वर्णित शर्तों की पूर्ति/पालना हेतु आवेदक/विकासकर्ता को किया

जाना होगा। उक्त शर्तो की पालना हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावें।

2. स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम २०२० की तालिका अनुसार देय होगा। नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।

3. योजना में स्वीकृत इन्फींमल सैक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 / विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार / दिनांक 20.02.2023 एवं समय-समय पर जारी

परिपत्र/आदेश अनुसार किया जाना होगा। आवेदित योजना में प्रस्तावित भूराण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से

अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। गुख्यमंत्री जन आवास योजना २०१५ के प्रावधान व नोटिफिकेशन दिनांक ०३.०४.२०१७ में वर्णनानुसार २ हैक्टेयर तक की प्लोटेड डवलगेन्ट योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के १० प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु विकासकर्ता से आवासीय

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर ्रभचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर 3 t. 7 . a 7 H B

6

7



कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



2

7

21

5

7

П

आरक्षित दर से गणना कर राशि लिये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त योजना में आवासीय क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल की आरक्षित दर से राशि 90 दिवस में जमा करवाई नानी होगी। उक्त अवधि के पश्चात जमा करवाये जाने वाली राशि पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। (विभागीय आदेश क्रमांक प.18(36) नविवि/ एन.ए.एव.पी./ 2014 पार्ट दिनांक 04.05.2017)

योजना की समस्त सड़के, पार्क व खुला क्षेत्र न्यास में निहित होगा।

योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा।

योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा सरंक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाईट का उपयोग किया जावेगा।

योजना के आन्तरिक विकास कार्य, यथा सड़के, नालिया, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज एवं पेयजल आदि के समस्त कार्य यऊनिशप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 24 माह में किये जाने अनिवार्य होगें। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढाई जा

10. उपरोक्त योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स् २०१७ के

तहत पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकोम इन्फ्रास्ट्रक्चर टावरस् हेतु स्थल आरक्षित रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/ आदेशानुसार किया जाना होगा।

स्वीकृत योजना में भूखण्डों की संख्या का अंकन व्यवस्थित रूप से किये जाने एवं योजना के नामकरण हेतु अनुमोदित ले आउट प्लान की प्रति मय ले-आउट प्लान समिति के वैठक कार्यवाही विवरण की प्रति नियोजन शाखा द्वारा विकासकर्ता/ खातेदार को शर्तो/नियमीं की पालना हेतु उपलब्ध करवाई जावें।

13. वउनशिप पॉलिसी - 2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश/ परिपत्र/ दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा

नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होगे।

14. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, राजस्थान जयपुर का परिपत्र दिनांक 31.12. 2020 की पालना में योजना का वैद्य संचालन हेतु प्रदूषण मण्डल की सम्मति, न्यास से अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पूर्व प्राप्त कर प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, राजस्थान जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा विर्देशों/ परिपत्रों/ आदेशों की पालवा सुविश्चित करवी होगी।

15. प्रस्तावित पार्किंग को यथावत कायम किया जाना होगा।

नगरीय विकास विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट-VIII जयपुर के दिनांक 30.11.2021 अनुसार उक्त लेआउट प्लान स्वीकृत किया जाता है। योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट-IV जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टाउनशिंप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution Station Pressure regulating station/District regulating station स्थापित करने हेतु

नवीन प्रावधान लागू होंगें। राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. विकासकर्ता/खातेदार 14.03.2023 4(1)आरजे/रेरा/२०१७/पार्ट/४६७ दिनांक

सुनिश्चितता की जानी होगी।

सहायके-संगर नियोजक नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यांस, श्रीगंगानगर

नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

Stamn 756

To Date:04/07/2025

The Secretary, Urban Improvement Trust (UIT), Sri Ganganagar, Rajasthan.

Subject: Request for Issuance of Corrected Praman Patra for Project "Kings Sadainder Avenue G-Block" Regarding Development Time Period

Respected Sir/Madam,

This is to respectfully bring to your attention that Praman Patra bearing Sr. No. NIYOJAN/2024/2934 dated 22/02/2024 has been issued in connection with our project "Kings Sadainder Avenue G-Block."

In Point No.18 of the said Praman Patra, a development time period of 24 months has been mentioned. However, as per the applicable Township Policy, for layout schemes measuring up to 2 hectares (20,000 sq. meters), the permissible development time period is only 18 months.

We therefore request your good office to kindly issue a corrected letter or revised Praman Patra reflecting the appropriate time period as per the policy.

Your kind cooperation in this regard will be highly appreciated.

Thanking you,

Yours Sincerely,